# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर

NAAC – 'A' Grade www.krgcgwalior.org Phone No. 0751- 2625495

क्र0 1905 दिनांक 01-9-2022

मैस संचालन हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

वर्ष 2022–23 हेतु निविदा बावत महाविद्यालय छात्रावास मे मैस व्यवस्था का कार्य

| | |
|---|---|
| निविदा कार्य | महाविद्यालय के छात्रावास में मैस संचालित करने हेतु। |
| निविदा फार्म का मूल्य | रूपये 200/– (दो सौ रूपये मात्र) |
| निविदा फार्म का विकय | कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक |
| निविदा फार्म के विकय की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 11.09.2022 तक कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे) में |
| निविदा फार्म के जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 14.09.2022 को प्राप्त 10:30 बजे से सांय 05:00 बजे तक |
| निविदा फार्म के खोलने की तिथि एवं समय | 15.09.2022 दोपहर 03:30 बजे |
| निविदा धरोहर राषि | 50000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक |
| निविदा प्राप्त करने एवं जमा करने हेतु निर्धारित स्थान | कार्यालय से |

निविदा शर्तेः–

1. सील बंद निविदा पत्र इस कार्यालय में दिनांक 14.09.2022 सांयकाल 05:30 बजे तक स्वीकार किये जावेगें। निविदादाता निविदा स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड, ए.डी., स्पीडपोस्ट, कोरियर से भी प्रेषित कर सकता है। बिलंब से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. निविदादाता अधौहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोलने के समय स्वयं या उनका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इस हेतु उन्हे अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन द्वारा अवकाश की घोषणा कर दी जाती है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्यदिवस में खोली जावेगीं।
3. निविदादाता का निम्न कागजात निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करने होगेंः–

(अ) धरोहर राशि रू. 50000/– (रू. पचास हजार मात्र) का किसी भी रजिस्ट्रीकृत बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राचार्य शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय ग्वालियर के नाम बनवाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ब) पेन नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(स) कार्य अनुभव प्रमाण पत्र– किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में मैस संचालन का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (केन्टीन का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा)

उपरोक्त दर्शाये गये सभी कागजातों को लगाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त कागजों को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर लिफाफा क. 01 जिस पर तकनीकी बिड अंकित करना अनिवार्य है।

सर्वप्रथम समिति द्वारा लिफाफा क. 01 खोला जावेगा जिसमें मांगे गये समस्त दस्तावेज सही पाये जाने के उपरांत ही दर सम्बंधी लिफाफा खोला जावेगा। लिफाफे क. 01 में किसी एक भी कागजात में कमी पाये जाने, वैद्य न पाये जाने अथवा अपूर्ण होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी तथा लिफाफा क. 02 नहीं खोला जावेगा।

4. केवल टंकित दरें ही मान्य होगी। हस्तलिखित दरें व कांट–छांट वाली दरें मान्य नहीं की जावेगा तथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

5. बिना धरोहर राशि के निविदा किसी भी रूप में मान्य नहीं की जावेगी।
6. स्वीकृत कार्य की अवधि अधिकतम 30 जून 2022 तक होगी। लेकिन कार्य की गुणवत्ता के आधार पर कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को 07 दिवस में निर्धारित शासकीय स्टाम पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका व्यय स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा।
8. खाना बनाने हेतु गैस सिलेण्डर व्यवसायिक मैस व्यस्थापिका को लाना होगें।
9. मैस व्यवस्था केवल महिला को ही प्रदान की जायेगी। जिस महिला को मेस व्यवस्था दी जायेगी, उसे प्रतिदिन छात्रावास में छात्राओं के भोजन बनवाने एवं भोजन करवाने के समय मेस में पूर्ण व्यवस्था हेतु उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि मैस संचालिका प्रतिदिन मैस में व्यवस्था हेतु उपस्थित नहीं रहती हैं, तो उस माह का मैस शुल्क नहीं दिया जावेगा तथा बिना सूचना के मैस की व्यवस्था उनसे छीनली जावेगी। छात्राओं के साथ मैस संचालन हेतु यदि किसी तरह की धोखाधड़ी या नियम विरूद्ध कार्यवाही कर मैस व्यवस्था लेने पर या किसी महिला के नाम पर मेस व्यवस्था लेकर धोखे से दूसरे व्यक्ति/पुरूष द्वारा संचालित करना पाया जाता है तो तुरंत कानूनी कार्यवाही कर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी तथा मैस व्यवस्था समाप्त कर निकटतम न्यूनतम दर वाले निविदा दाता को मैस संचालन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। मैस संचालिका छात्रावासी छात्राओं से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेगी। छात्राओं को अपनी बेटियॉ समझकर मॉ जैसा व्यवहार कर पौष्टिक भोजन करायेगीं।
10. सत्र के बीच में मंहगाई या अन्य किसी भी तरह का कारण देकर, कागजी कार्यवाही कर भोजन व्यवस्था में व्ययधान या शुल्क बढ़ोत्तरी की मांग नहीं करेगें।
11. प्रतिमाह टी.डी.एस. राशि का कटोत्रा (शुद्ध देय राशि जो मैस व्यवस्थापिका को दी जायेगी उसमें से आयकर नियमों के अनुसार किया जायेगा)
12. संलग्न मीनू चार्ज के अनुसार भोजन व नास्ता व्यवस्था करना होगी, समय–समय पर छात्राओं की मांग अनुसार एवं छात्राओं द्वारा उक्त मीनू के अलावा बनाये गये (मीनू) भोजन, नाश्ता, दूध, चाय, फल इत्यादि के आधार पर भोजन व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी मैस व्यवस्थापिका की होगी। स्वास्थ्यबर्द्धक खाना, रूचिकर खाना प्रदाय हेतु मैस में 8 से 10 बाईयॉ कुशल, भोजन बनाने, परोसने एवं सदव्यवहार मृदुभाषा बोलने वाली हों। प्रतिदिन छात्राओं को सुबह 10 बजे से भोजन (पूरा) प्राप्त हो।
13. छात्राओं की बीमारी के समय भोजन में स्वादिष्ट खिचड़ी, दलिया, दूध, फल, जूस इत्यादि की व्यवस्था करना मैस व्यवस्थापिका की पूर्ण जिम्मेदारी होगी उसका पैसा अलग से छात्रावास द्वारा नहीं दिया जायेगा।
14. छात्रावास से अपने घर जाने के समय, यात्रा करते समय छात्राओं को लंच बॉक्स (पूड़ी, सब्जी, अचार) देना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्रावास द्वारा अतिरिक्त राषि देय नहीं होगी।
15. छात्रावास की छात्राओं द्वारा सत्र मे दो बार दी जाने वाली पार्टी जैसे स्वागत और विदाई पार्टी छात्राओं की विषेष मांग पर व्यवस्था की पूर्ती मैस व्यवस्थापिका को करनी होगी। पार्टी में परोसे जाने वाले व्यंजन का मीनू वार्डन द्वारा तैयार किया जावेगा। इस पर होने वाले व्यय राशि छात्राओं तथा छात्रावास द्वारा देय नहीं होगी।
16. छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों मेट्रन, क्लर्क, छात्रावास मैनेजर, चौकीदार, स्वीपर एवं छात्रावास वार्डन को मैस में भोजन व नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था होगी।
17. छात्रावास भवन उपयोगिता, भोजन बनाने के उपयोग में लाने वाले बर्तन, फ्रिज, गैस चूल्हा, बिजली, पानी इत्यादि पर होने वाले व्यय एवं रख–रखाव पर क्षतिपूर्ति के एवज में मैस व्यवस्थापिका छात्रावास के लिये कुल 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र) की राशि प्रत्येक माह (कार्य आदेश से जून 2023 तक) में देय राशि से 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) के हिसाब से 10 माह में प्रदान करेगी।
18. निविदादाता द्वारा मैस व्यवस्था में संलग्न बाईयों की सूची नाम व पते सहित सत्यापित कराकर छात्रावास कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
19. स्वीकृत निविदादाता यदि मैस व्यवस्था का कार्य संधारित करने में असफल होता है तो उस स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व शेष अवधि का कार्य द्वितीय निविदादाता को दिया जावेगा, जिसकी अंतर राशि की निविदादाता से वसूल की जावेगी जो जमा कराई गई निविदा धरोहर राशि/देयक/भूराजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।

20. निविदादाता की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण महाविद्यालय को किसी भी प्रकार की हानि होने पर निविदा दाता द्वारा जमा की गई निविदा धरोहर राशि, जमानत राशि, कार्य के देयक की राशि, भूराजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी।

21. अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि, वह बिना कोई कारण बताये निविदा अस्वीकार कर सकते हैं यदि किसी कारणवश निविदा निरस्त की जाना है तो उसके लिये निविदादाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा ब्याज देय नहीं होगा इस विषय में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

22. स्वीकृत निविदा की धरोहर राशि कार्य अवधि के सफल संचालन के पश्चात वापिस की जावेगी एवं द्वितीय दर दाता की निविदा की धरोहर राशि प्रथम निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के एक माह के पश्चात् वापिस की जायेगी और शेष निविदादाताओं की धरोहर राशि 15 दिन के अंदर वापिस की जावेगी समस्त निविदादाताओं की धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

23. छात्रावास के भोजन कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या छोटे–छोटे बेच बनाकर निर्धारित की जाये तथा मेस की समय सारिणी बनाकर समयावधि बढ़ाई जाये। भोजन बनाने एवं खाता परोसने वाले स्टाफ द्वारा फेस कवर, मास्क का उपयोग तथा हाथों को सेनीटाईज किया जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाये कि भोजन ताजा एवं वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में बनाये जाये तथा उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन साफ–सुथरे हों।

24. कोविड–19 महामारी को देखते हुये भोजन में पोस्टिक तत्वों का समावेश हो।

25. मेस में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

26. विद्यार्थियों के मेस में प्रवेश करते समय हाथ धोना/सेनीटाईज कराना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये की प्रति दिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) को अच्छी तरह से साफ एवं सेनीटाईज किया जाये तथा गंदा पानी एक स्थान पर एकत्रित न हों। मेस में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन स्वच्छ एवं सेनेटाईज किया जाये।

27. निविदा फार्म रू. 200/– का प्राचार्य शासकीय के.आर.जी. महाविद्यालय ग्वालियर के नाम बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने या रू. 200/– महाविद्यालय की खाता संख्या खाता क्रमांकः– 50100239325726, Bank Name:- HDFC Bank Dal Bazar, IFSC Code:- HDFC0003661

संयोजक
छात्रावास, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज

प्राचार्य

मीनू चार्ट सत्र 2022–23

| दिन | प्रातः 07 से 09 बजे तक | प्रातः 10 से दोपहर 02 बजे तक | सांय 03 से सांय 04 बजे तक | सांय 06 से सांय 08:30 बजे तक |
|---|---|---|---|---|
| सोमवार | अदरक इलाचयी की चाय, दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | साबूदाने की खिचड़ी 1 बड़ी कटोरी, चाय | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| मंगलवार | अदरक इलाचयी की चाय दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | 1 समोसा (बड़े साइज का) चटनी | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| बुधवार | अदरक इलाचयी की चाय दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | 1 कचौड़ी (बड़े साइज की) चटनी | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| गुरूवार | अदरक इलाचयी की चाय दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | 1 आलू की टिक्की, छोले, चटनी | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| शुक्रवार | अदरक इलाचयी की चाय दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | पोहा (एक बड़ी कटोरी भरके), सेव नमकीन डालकर | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| शनिवार | अदरक इलाचयी की चाय दो बिस्कुल पारले जी | दही, (एक कटोरी) रोटी, चावल, एक कटोरी दही सलाद अरहर की दाल हरी सब्जी | दो बड़ा सामर/चटनी | रोटी, चावल दाल, सब्जी मोसम के अनुसार सलाद (टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, नीबू |
| रविवार | अदरक इलाचयी की चाय (चार नग बड़ी ब्रेड की स्लाइस, बटर पर्याप्त मात्रा में) | आलू के पराठें/डोसा / पावभाजी/ पूड़ी सब्जी/ इडली साम्भर, पुलाव इत्यादि **इनमे से एक** मिठाई– आईसक्रीम/गाजर का हलवा/मूंग का हलवा /सूजी का हलवा/ कस्टर्ड फ्रूट/गुलाब जामून/ छेले के रसगुल्ले **इनमे से काई एक** | --- | खाना सादा, दाल–चावल रोटी, सलाद |

**विशेषः–**

1. समय एवं मौसम के अनुसार सब्जी एवं भोजन में परिर्वतन किया जा सकता है।
2. प्रत्येक सोमवार को मौसम के दो फल आवश्यक रूप से दिये जाए।
3. व्रत वाली छात्राओं को दो उबले बड़े आलू व एक कटोरी दही दिया जाए।
4. शर्तें अनुबंध पत्र के अनुसार होगीं।